

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/5389

दिनांक: 4-8-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री अशोक नागपाल अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं. आर/1024/1999) को नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ़ के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ़ से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/5390-5398

दिनांक: 4-8-2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतसर जिला हनुमानगढ़।
06. श्री अशोक नागपाल अधिवक्ता, मार्फत नगर पालिका रावतसर जिला हनुमानगढ़।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी